# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**भागीरथ बनाम छोटूराम**

| तारीख हुक्म | 502/2026<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 01/06/2026 को पेश हो। | |
| 01/06/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1 व 1/2 ने अपनी लिखित बहस पेश की, जिसे शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली निरन्तर बहस हेतु दिनांक 03/06/2026 को पेश हो। | |
| 03/06/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की, जिसे शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष ने लिखित बहस को उनकी बहस माना जाकर उनकी मौखिक बहस पत्रावली पर सुने जाने का निवेदन किया। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/06/2026 को पेश हो। | |
| 04/06/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है। कृषक पेशा व्यक्ति है। जिनका सजरा मुताबिक वाद पत्र अनुसार है । ग्राम चावण्डिया तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के खसरा नम्बर 3[illegible]0/1 रकबा 16 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर 474 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा बा. दोयम 5 बीघा 7 बिस्वा, बारानी सोयम 5 बीघा 4 बिस्या, खसरा नम्बर 480 रकबा 2 विस्या बारानी दोयम गै.मु.चाह, खसरा नम्बर 481 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा खास चाही सोयम 5 बीघा बारानी अन्य 13 बीघा 4 बिस्वा ज.चाही बारानी दोयम 3 बीघा 7 बिस्वा, गै.मु. 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 1 बिस्वा खाम चाही (गै.मु.चाह), खसरा नम्बर 494/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पुख्ता चाही अव्वल कुल किता 6 रकबा 35 बीघा में वादी हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 हि. 1/4 के खातेदार काश्तकार है एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा बारानी सोयम 5 बीघा 5 बिस्वा, बंजड दोयम 2 बीघा 14 बिस्वा में वादी हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 हि. 1/8 शेष 3/4 हिस्से के खातेदार | |

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर •

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | भागीरथ बनाम छोटूराम<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 502/2026 | |

काश्तकार प्रतिवादी सं. 5 लगायत 15 है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मनबट के आधार पर रह काश्त करते आ रहे है। जो वाद में विवादित आराजी से सम्बोधन की गई है। वादी के पिता काना एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 के दादा व प्रतिवादी सं. 3 लगायत 4 के पिता भंवरलाल मा जाये भाई थे एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता भंवरलाल ही परिवार के कर्ताधर्ता एवं मुखिया परिवार थे तथा दोनों भाई संयुक्त रूप से रहते थे एवं आराजी में काश्त करते थे। गत बन्दोबस्त संवत 1994 में पूर्व रिकार्ड के विपरित वादी के पिता काना का नाम कर्मचारियों की गलत से खाते में अंकित होने से रह गया जबकि दोनों भाई भंवरलाल व काना संयुक्त रूप से काबिज रह काश्त करते आ रहे थे। एवं उनकी मृत्यु के पश्चात भी वादी अपने हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 अपने हिस्सा 1/2 का आराजी को वर्तमान में काबिज रह काश्त करते आ रहे है। पूर्व मे किये गये गलत अंकन के आधार पर वर्तमान में भी भूमि एकीकरण में बनाये गये खसरा नम्बर को मद सं. 2 में उल्लेखित किये है पर वादी के पिता का नाम रिकार्ड में अंकित रहने से रह गयी जबकि विवादित आराजी पर वादी के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात वादी निरन्तर रूप से 1/2 हिस्से पर काबिज रह काश्त करते आ रहे है जो गलत अंकन के दुरूस्त कराने के अधिकारी है। उक्त गलत अंकन की जानकारी वादी के पिता को कभी भी नही हुई और न ही उनके जीवन काल मे कोई विवाद ही पैदा हुआ है। वादी को उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 से दुरूस्ती करवाने को कहा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आश्वान देते रहे किन्तु प्रतिवादीगण की नियम में खोट आ गया उन्होने दिनांक 5.5.02 की रिकार्ड दुरूस्त करवाने से कतई मना कर दिया ऐसी अवस्था में दावा दुरूस्ती लाना आवश्यक हुआ है। ग्राम चावण्डिया तहसील जमवारामगढ के साबिक खसरा नम्बर भू प्रबंध संवत 1987 के खसरा नम्बरान 797, 801, 805, 811, 939, 978, 983, व 985 से के पश्चात भू प्रबंध संवत 2008 के खाता सं० 186 की आराजी के एवज में विवादित आराजी के चकभूमि एकीकरण में दिये गये है जिन पर वादी के पिता काना अपने बडे भाई भंवरलाल के साथ 1/2 हिस्से का रिकार्ड खातेदार काश्तकार रहा है एवं तत्पश्चात भी उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करता रहा है। एवं पश्चावर्ती बन्दोबस्त में गलत अंकन से अधिकार समाप्त नही हो जाते है जबकि वे अपने मृत्यु पर्यन्त अपने भाई भंवरलाल के साथ शामिल रह कर काश्त करते आ रह थे एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त भी वादी काबिज रह काश्त करते है। भू प्रबंन्ध विभाग की ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नही है जो पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | भागीरथ बनाम छोटूराम<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 502/2026 | | |

रिकार्ड में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश पूर्व खातेदार का नाम हटा देवे ऐसी अवस्था में दावा दुरूस्ती लाना आवश्यक हुआ भरा है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की संयुक्त परिवार की सम्पति है वादी एवं प्रतिवादी के बन्दोबस्त में कर्मचारियान की गलती से वांदी के पिता का नाम अंकित रहने से रह गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के बुर्जग भंवरलाल परिवार के मुखिया व कर्ताधर्ता थे उस समय कोई वादकरण उत्पन्न नही हुआ दोनों भाई भंवरलाल व काना संयुक्त रूप से रहते थे ऐसी अ स्था में गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की कोई अधिकार हासिल नही है। विवादित आराजी पर कोई भार उत्पन्न करे एवं वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करे वादी स्थाई एवं अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। विवादित आराजी में वादी हिस्सा 1/2 है एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 है एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से 1/4 में आधा है अर्थात 1/8 हिस्सा वादी का शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 लगायत 15 का हैं जिसका मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादी अपने हिस्से को अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है ऐसी अवस्था में दावा विभाजन लाया गया है। अतः ग्राम चावण्डिया में स्थित उक्त वादांकित भूमि खसरा नम्बर 350/1, 474, 480, 481, 482, 494/2 कुल किता 6 रकबा 35 बीघा में वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का रखा जावें एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में वादी हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगा 1 लगायत 4 के हिस्से 1/4 को दुरूस्त कर 1/8 दर्ज किया जावें। शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण 5 लगायत 15 पूर्वानुसार रखे जावें तथा वादी का अलग खाता कायम किया जावें एवं उक्त वादांकित भूमि में वादी के हिस्सा 1/2 में किसी प्राकर की मजाहमत नही करे और न ही अपने सर्वेण्ट से करावे और न ही उक्त आराजी पर भार उत्पन्न करे एवं वादी को 1/2 हिस्से का उपयोग व उपभोग शान्ति पूर्वक करने देवें।

अधीनस्थ न्यायालय सह क कलक्टर (फास्टट्रेक) जमवारामगढ के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष हस्तान्तरित कर दी गयी | अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 15 प्रकरण में पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जमवारामगढ में उपस्थित रहने

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | भागीरथ बनाम छोटूराम<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 502/2026 | |

तथा जवाब भी पत्रावली में प्रस्तुत किये जाने का अंकन करते हुये न्यायालय हाजा मे प्रतिवादीगण को पत्रावली हस्तान्तकरण की पूर्ण जानकारी होते हुऐ भी उपस्थित नही हुये । इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही । अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 15 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 06/04/2026 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी लिखित बहस पेश करते हुये उनकी मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर तनकीयात के निस्तारित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को डिक्री कर दिया गया, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों का विस्तृत विवेचन करते हुये घोषणा के बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक होता है | किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर प्रकरण के तथ्यों का समुचित विवेचन किये बेना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वाद को डिक्री किये जाने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के विपरित कब्जे की अवधारणा का बिन्दु एकपक्षीय रूप से तय किया जाना प्रकट होता है एवं विचाराधीन प्रकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर जमवारामगढ़ से स्थानान्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ में प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण को पुन: दर्ज करने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा न तो प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को कोई नोटिस जारी किये गये एवं ना ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा वादी की एकपक्षीय उपस्थिति में ही वाद में अग्रिम कार्यवाही करते हुये एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसर से वंचित रह जाना स्पष्ट होता है, जबकी विधि के प्रावधानों के तहत प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | भागीरथ बनाम छोटूराम<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 502/2026 | |

सुनवाई का अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर एकपक्षीय तथ्य एवं सुनवाई के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक, विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में एकपक्षीय तथ्यों के आधार पर सरसरी तौर पर विवेचन करते हुये पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य प्रतीत होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06/04/2026 निरस्त किये जाते है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06/04/2026 की अनुपालना में यदि कोई राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन हुआ है तो उसे दुरुस्त किया जाकर पूर्व राजस्व रिकार्ड की स्थिति को बहाल किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण सहित समस्त पक्षकारान को सूचना, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर